

प्रेषक,

एस0पी0 उपाध्याय  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,  
उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय,  
इलाहाबाद

गृह (पुलिस) अनुभाग 7

लखनऊ: दिनांक 23 फरवरी, 2018

विषय- जनपद अलीगढ़ के पुलिस लाइन छेरत एवं जनपद हाथरस के थाना सादाबाद में आवासीय भवनों के निर्माण कार्यो को पूर्ण करने हेतु डी0पी0आर0/पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद के पत्र संख्या:ग्यारह-120-2014(अलीगढ़ परि0) दिनांक 02 दिसम्बर, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-3075/6-पु0-7-2014-2(10)/2014, दिनांक 22.09.2014 एवं शासनादेश संख्या-2890/6-पु0-7-2015-2(10)/2014 दिनांक 04.09.2015 द्वारा जनपद अलीगढ़ के पुलिस लाइन छेरत एवं जनपद हाथरस के थाना सादाबाद में आवासीय भवनों के निर्माण कार्यो के लिए क्रमशः ₹0 176.16 लाख एवं ₹0 86.88 लाख की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में क्रमशः ₹0 93.48 लाख एवं ₹0 45.90 लाख की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त की गयी थी। उक्त स्वीकृत निर्माण कार्यो को पूर्ण करने हेतु डी0पी0आर0/पुनरीक्षित आगणन के आधार पर श्री राज्यपाल क्रमशः ₹0 175.70 लाख एवं ₹0 82.12 लाख की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन तथा इस हेतु उपर्युक्त शासनादेश द्वारा मूल स्वीकृत लागत के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में अवमुक्त धनराशि क्रमशः ₹0 93.48 लाख एवं ₹0 45.90 लाख समायोजित करते हुए शेष क्रमशः ₹0 82.22 (₹0 बयासी लाख बाईस हजार मात्र) एवं ₹0 36.22 लाख (₹0 छत्तीस लाख बाईस हजार मात्र) कुल धनराशि ₹0 1,18,44,000.00 (₹0 एक करोड़ अठारह लाख चवालीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त किये जाने की निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि ₹0 लाख में)

क्र.सं	जनपद का नाम	कार्य का विवरण	मूल स्वीकृत लागत	डी.पी.आर.के आधार पर पुनरीक्षित स्वीकृत लागत	अब तक अवमुक्त धनराशि	वर्ष 2017-2018 में आवंटन
1	अलीगढ़	पुलिस लाइन छेरत में श्रेणी-2 के 10 तथा श्रेणी-3 के 02 नग आवासों का निर्माण	176.16	175.70	93.48	82.22
2	हाथरस	थाना सादाबाद में श्रेणी-2 के 06 नग आवासों का निर्माण	86.88	82.12	45.90	36.22
<b>योग</b>					<b>139.38</b>	<b>118.44</b>

- (1) शासनादेश दिनांक 22 नवम्बर, 2014 एवं 04 सितम्बर, 2015 में अंकित शर्तो के अनुसार निर्माण कार्यो को पूर्ण कराकर पुलिस विभाग को हस्तगत कराया जाएगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2018 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।
- (2) पुलिस मुख्यालय द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापतियां एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
- (3) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप पुलिस मुख्यालय द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।
- (4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित मात्राओं को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/पुलिस मुख्यालय का होगा।
- (5) पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि पर सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- (6) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से पुलिस मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (7) स्वीकृत धनराशि पीएलए/बैंक खाता में नहीं रखी जायेगी।
- (8) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को नियमानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
  - (10) पुलिस मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण कराया जाय।
  - (11) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद के लिए स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय।
  - (12) निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर उपलब्ध करायी जाय। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।
  - (13) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.08.2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं परियोजनाओं में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या:07/2017/बी-1-823-/10-2017-एम-04/2017 दिनांक 21.06.2017 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
  - (14) आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के शासनादेश संख्या:1107/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12.05.2017 द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निकायों इत्यादि में एन0आई0सी0 के ई-प्रोक्योरमेंट प्लेटफार्म का प्रयोग करते हुए सभी निर्माण कार्यों, सेवाओं/जॉब वर्क एवं सामग्री के क्रय तथा चालू दर एवं दर-अनुबन्ध (रेट कान्ट्रैक्ट) हेतु ई-प्रोक्योरमेंट/ई-टेंडरिंग प्रणाली लागू कर दी गयी है। उक्त के अतिरिक्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.8.2017 व अन्य सुसंगत शासनादेशों के द्वारा ई-मार्केट फेज (जेम जी0ईएम0) की व्यवस्था लागू कर दी गयी है। कृपया तदुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।
  - (15) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित लागत में 04 प्रतिशत वैट कमी करने के उपरान्त 12 प्रतिशत जीएसटी अनुमन्य किया गया है। प्रायोजना हेतु जीएसटी की धनराशि नियमानुसार देय होगी।
  - (16) प्रायोजना में वर्क इन की लागत को यथावत सम्मिलित करते हुए लागत का आकलन किया गया है। वर्क इन की लागत हेतु पुलिस मुख्यालय उत्तरदायी होगा।
- 2- पुलिस मुख्यालय द्वारा भविष्य में निर्माण कार्यों को पूर्ण करने में बिलम्ब को कम करने तथा निर्माण इकाई पर गहन परीक्षण व पर्यवेक्षण भी सुनिश्चित करेंगे जिससे मूल स्वीकृत लागत में टाइम ओवर रन व कास्ट ओवर रन कम हो सके। निर्माण के बाद यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा किया जाय। भविष्य में पुनः पुनरीक्षित आगणन के आधार पर कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं स्वीकृत की जायेगी।
- 3- प्रश्नगत निर्माण कार्यों हेतु आवश्यक धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-26 के अधीन लेखाशीर्षक-4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय-211-पुलिस आवास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-पुलिस बल की आधुनिकरण योजना के अन्तर्गत आवासीय भवनों का निर्माण-24 वृहद निर्माण कार्य मद से बहन की जायेगी।
- 4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/17 दिनांक 03.08.2017 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या:बी-3-1840/दस-2014-100(4)/202-ब0मै0 दिनांक 01.10.2014 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

एस0पी0 उपाध्याय

संयुक्त सचिव।

संख्या-3119(1)/6-पु0-7-2017 तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 3- पुलिस महानिदेशक, 30प्र0 लखनऊ।
- 4- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 पुलिस आवास निगम, विभूतिखण्ड गोमतीनगर लखनऊ।
- 5- सम्बन्धित जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, सिविल लाइन, इंदिरा भवन, इलाहाबाद।
- 7- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी।
- 8- वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-12
- 9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 /गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

एस0पी0 उपाध्याय

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।